न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 12/2021
निर्णय दिनांक : 18/2/2022

1. मांगीलाल पुत्र भूरा जाति धोबी निवासी ग्राम टीलावास पटवार हल्का देवलिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी कल्याण
2. जगदीश पुत्र कल्याण
3. दीपचन्द पुत्र कल्याण
4. रामपाल पुत्र कल्याण
5. गोरधन पुत्र ग्यारसा
6. मंगला पुत्र ग्यारसा
7. रामदेव पुत्र ग्यारसा
8. रामचन्द्र पुत्र लादिया
9. सीताराम पत्र लादिया
   समस्त जाति धोबी निवासी ग्राम टीलावास हल्का देवलिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु।

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 212 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213/616 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.55

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:01:54 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर टीलावास पटवार हल्का देवलिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है।

उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 25.05.2018 को आदेश श्रीमान उप तहसीलदार साहब उप तहसील बगरू क्रमांक/एल.आर. /17/185/20/04/17 की पालना में खसरा नम्बर 212, 213/616, 220 किता 3 रकबा 0.77 हैक्टेयर के सीमाज्ञान हेतु पुनश्च पालना रिपोर्ट 05/07/2017 के मौके पर पहुंचे । मौके पर खातेदार व पडौसी काश्तकार मौके पर मिले। गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 210 को मुसाकिल बिन्दु मानकर जरीब चलाकर खसरा नम्बर 212 की उत्तरी पश्चिमी बिन्दु कायम किया गया वहां से जरीब व नक्शा लठठा द्वारा शेष खसरा नम्बर 213/616, 220 के सीमा चिन्ह कायम किये गये। फर्द मौका बनाकर पढकर सुनाकर उपस्थित मौतविरान के हस्ताक्षर कराये गये। प्रार्थी की भूमि के पडोसी काश्तकार अप्रार्थी संख्या एक लगायत नो झगडालू किश्म के व्यक्ति है तथा आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है। इस कारण प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार तत्थरगढी किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर सीमज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार बाउण्डरी कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य में सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। दिनांक 190.02.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से बावजूद रजिस्टर तामिल कोई उपस्थित नही। बार–बार आवाज लगवाई गई, उनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की कृषि भूमि खातेदारी की खसरा नम्बर 212 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213/616 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:01:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नम्बर 220 रकबा 0.55 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर टीलावास पटवार हल्का देवलिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढी उप तहसीलदार, उप तहसील बगरू से प्राप्त फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 25.05.2018 के अनुसार कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 18/2/2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (साँगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:01:54 IST
Reason: SelfAttested